तारीख हुक्म	**सत्यनारायण बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 235/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.22	अपीलार्थी सत्यनारायण पुत्र चुतराराम निवासी चीरघर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2022 में उसके द्वारा (1) प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में पटवार मंडल जोलियाली, केरू, पोपावास, चावण्डा, बेरू, चौखा, रोहिलाकला, लोरडी देजगरा, पूंजला में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी से संबंधित कितने प्रकरण दर्ज हुए, कितने प्रकरणों का निस्तारण सूचना उपलब्ध करने तक हुआ। समस्त संबंधित सूचनाओं की सूची सहित प्रमाणित प्रति (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	